न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 64 / 2016 (राजसमन्द डिक्री)

बशीरूद्दीन वल्द श्री हबीब मोहम्मद मुसमलान सिलावट, निवासी राजनगर, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये जिलाधीश, राजसमन्द (राज.)
2. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार, राजसमन्द (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध
निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी
राजसमन्द, दिनांक 24–10–2016
प्रकरण संख्या 105 / 2011 वाद पत्र

———/———

उपस्थित(वक्त बहस) 1. श्री मुकेश तलेसरा अभिभाषक अपीलान्ट
2. राजकीय अभिभाषक रेस्पोन्डेन्टगण

———::———

निर्णय **दिनांक 12–03–2018**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी / अपीलान्ट द्वारा प्रतिवादीगण / रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सनवाड़, सार्दूल खेड़ा, सेवाली, भगवानदा खुर्द और ग्राम मोरचणा एवं मूण्डोल की बीच की भूमि जो तहसील राजसमन्द में स्थित है, जिसे धोली खान कहा जाता है जहां आरास पकाने की खाने एवं भट्टे हैं। उपरोक्त भूमियों का रकबा 677 बीघा 10 बिस्वा होकर वाद पत्र की कलम संख्या 1 अनुसार है। उपरोक्त रकबा धोली खान का श्री हबीब मोहम्मद, श्री खाजू खां एवं लालू को माफी में तत्कालीन महाराणा मेवाड़ रियासत ने दिया था और फिर इसी माफी हक को महाराणा श्री भीमसिंह जी ने संवत् 1882 में दुहराया अर्थात बहाल किया।

उक्त आराजियात बाबत् वादी के वालिद श्री हबीब मोहम्मद तथा श्री जान मोहम्मद ने राजस्थान राज्य के खिलाफ एक वाद इश्तकार हक एवं निषेधाज्ञा का न्यायालय सिविल जज उदयपुर में पेश किया, जिसका मुकदमा नंबर 51/68 होकर अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश उदयपुर ने दिनांक 10–03–1975 को डिक्री किया, जिसमें तनकी नंबर 3 का निस्तारण करते समय वादग्रस्त भूमि पर श्री हबीब मोहम्मद का कब्जा माना गया तथा वाद पत्र की कलम संख्या 2 में वर्णित अनुसार तनकी का निर्णय वादी के पक्ष में किया गया। इसी प्रकार कब्जे बाबत् दीवानी न्यायालय ने अपनी फाईडिंग दे दी है और धोली खान की आराजी नंबर 408, 250 व 252 पर कब्जा हबीब मोहम्मद के बाद वादी बशीरूद्दीन का माना है। उक्त निर्णय के विरूद्ध अपील होने पर अपर जिला न्यायाधीश उदयपुर ने अपने निर्णय दिनांक 10–08–1979 के पृष्ठ संख्या 4 के पैरा संख्या 5 में वाद पत्र की कलम संख्या 3 अनुसार तनकी नंबर 1 से 5 व 9 से 12 को बहाल रखा। उक्त निर्णय के विरूद्ध वादी के वालिद श्री मोहम्मद हबीब ने सिविल सेकेन्ड अपील इस आशय की पेश की कि वह माफीदार है इसलिए रायल्टी नहीं देगा। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने उक्त सिविल सेकेन्ड अपील का फैसला दिनांक 11–03–1998 को किया कि वादी/अपीलान्ट को रायल्टी अदा करनी होगी, अधिनस्थ न्यायालय का शेष निर्णय यथावत रखा। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में अपील पेन्डिंग रहने के दरमियान ही 1997 में श्री हसनबक्ष वगैरा ने एक दावा दिनांक 17–12–1997 को निषेधात्मक आदेशात्मक निषेधाज्ञा का मौजूदा वादी के विरूद्ध न्यायालय अपर सिविल जज (व.ख.) राजस्थान में पेश किया, जिसमें पूर्व के वाद संख्या 51/68 एवं अपील के निर्णय बाबत् कोई दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किये इसलिए उक्त वाद मुकदमा नंबर 46/98 का निर्णय करते हुए वादी के खिलाफ दिनांक 01–02–2008 को वाद डिक्री किया, जिसके विरूद्ध अपील जिला न्यायालय राजसमन्द में पेश हुई, जिसमें दौराने अपील वादी ने सारे पुराने निर्णय जो दीवानी न्यायालयों ने उसके पिता के हक में किये थे, उन्हें पेश किया तथा आदेश 41 नियम 27 जा.दी. में उक्त निर्णय की प्रमाणित प्रतियां रेकार्ड पर ली गयी तो रेस्पोन्डेन्ट हसनबक्ष वगैरा ने अपनी गलती मान कर लोक अदालत की भावना से समझौता कर लिया, जिसके फलस्वरूप वादी की अपील स्वीकार की जाकर हसनबक्ष वगैरह का दावा खारिज किया गया

तद्नुसार न्यायालय जिला न्यायाधीश राजसमन्द द्वारा मुकदमा नंबर 11/2008 अपील दीवानी में दिनांक 17–11–2008 को राजीनामे के आधार पर मंजूर की जाकर दावा खारिज किया गया एवं तद्नुसार डिक्री पारित की गयी, जिसके अपील की मयाद समाप्त हो चुकी है तथा कोई भी अपील, रिट, रिव्यू पेश नहीं हुई। यानि उक्त प्रकरण में जो कब्जे की फाईडिंग 1975 के निर्णय को अपर जिला न्यायालय उदयपुर ने कन्फर्म किया यानि मोहम्मद हबीब के कब्जे को सही माना और इस फाईडिंग के बारे में सरकार ने भी श्री गोपाल माइनिंग इन्जीनियर के बयान से ताईद की तथा न्यायाधीन प्रकरण में एक प्रकरण के चलते हुए उसी विषय वस्तु का दूसरा प्रकरण पेश करने से कानूनन बार्ड है इसलिए वादी बशीरूद्दीन जो कि मोहम्मद हबीब का पुत्र होकर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में उनके बजाय वारिस बनकर केस लड़ रहा था वह उसी विषय वस्तु बाबत् दावा श्री हसनबक्ष वगैरा द्वारा पेश कर दिये जाने के कारण अपने कब्जे की घोषणा बाबत् दूसरा दावा नहीं कर सकता था इसलिए उसे दिनांक 17–11–2008 के निर्णय की अपील, रिट, रिवीजन, रिव्यू की सारी मयाद समाप्त होने के बाद जो अधिकार उसे उत्पन्न हुआ है उसके बारे में उसने इन आराजियात का नामान्तरकरण अपने नाम किये जाने बाबत् प्रतिवादी राजस्थान राज्य जरिये जिलाधीश राजसमन्द को धारा 80 जा.दी. के तहत दिनांक 08–07–2009 को अपने अधिवक्ता के जरिये नोटिस दिया जो प्रतिवादी को दिनांक 09–07–2009 को प्राप्त हो गया, लेकिन प्रतिवादी ने न तो उक्त नोटिस का कोई जवाब दिया न ही नोटिस की पालना ही की। अतः नोटिस की अवधि की समाप्ति के बाद वादी के पास न्यायालय की शरण लेने के अलावा और कोई विकल्प ही नहीं रहा है। प्रतिवादी को उक्त नोटिस मिल जाने के बाद वादी विभिन्न विभागों के चक्कर काटता रहा, जिसपर उसे यही आश्वसन मिला कि फैसला माननीय उच्च न्यायालय तक हो चुका है, जिसकी अनुपालना में हम आपकी पूरी मदद करेंगे और वादग्रस्त भूमि का नामान्तरकरण आपके नाम कर देंगे, लेकिन आज दिनांक तक वादी के नाम नामान्तरकरण नहीं किया गया।

वाद हेतुक प्रथम बार दिनांक 10–03–1975 को उत्पन्न हुआ जब मुकदमा नंबर 51/68 का निर्णय वादी के पिता के हक में किया जाकर दावा डिक्री हुआ, उसके बाद दिनांक 10–08–1979 को उत्पन्न हुआ जब

अपील न्यायालय का फैसला हुआ। उसके बाद दिनांक 11–03–1998 को उत्पन्न हुआ जब माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा सिविल सेकेन्ड अपील का फैसला किया गया, उसके बाद दिनांक 01–02–2008 को उत्पन्न हुआ जब अपर सिविल जज (व.ख.) राजसमन्द द्वारा वाद डिक्री किया गया। उसके बाद दिनांक 17–11–2008 को उत्पन्न हुआ जब राजीनामें के आधार पर वादी बशीरूद्दीन की अपील मंजूर की जाकर हसनबक्ष वगैरा का दावा खारिज किया गया, उसके बाद दिनांक 08–07–2009 को उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादी को धारा 80 जा.दी. के तहत 60 दिवस की अवधि का रजिस्टर्ड ए. डी. नोटिस दिया गया। उसके बाद दिनांक 09–09–2009 को उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादी के विभिन्न विभागों द्वारा वादी को नामान्तरकरण करने की आश्वासन दिया गया। निवेदन किया कि वाद पत्र की कलम संख्या 2 में वर्णित आराजियात का वादी को खातेदार घोषित किया जावे एवं स्थाई निषेधाज्ञा तथा आज्ञापक निषेधाज्ञा दिलायी जावे।

उक्त वाद दर्ज होने पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत कर कथन किया कि विवादित भूमि पूर्व में सरकारी थी एवं वर्तमान में भी सरकारी है। जिला न्यायाधीश राजसमन्द द्वारा जो अपील मंजूर कर दावा खारिज किया गया है वह राजीनामे के आधार पर किया गया है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में विवादित भूमि पूर्व सेटलमेन्ट से पूर्व भी सरकारी खाते में दर्ज थी तथा वर्तमान में भी सरकारी दर्ज है, जिस पर स्थाई निषेधाज्ञा जारी करना उचित नहीं है एवं सरकारी भूमि पर वादी के नाम दर्ज करने हेतु राजस्व रेकार्ड अनुसार नहीं किया जा सकता।

प्रतिवादी के उक्त जवाबदावे का वादी द्वारा दिनांक 20–03–2013 को जवाबुल जवाब भी प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण में दिनांक 22–08–2016 को वादी द्वारा संशोधन का आवेदन प्रस्तुत किया गया तथा आराजियात में संशोधन का अनुरोध किया, जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 02–09–2016 को स्वीकार किया जाकर संशोधित वाद पत्र प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी गयी एवं संशोधित वाद पत्र की प्रतिलिपि प्रतिवादी सरकार को दी गयी।

प्रकरण में दिनांक 02–09–2016 को प्रतिवादी सरकार द्वारा पूर्वानुसार खण्डन का औपचारिक जवाबदावा प्रस्तुत किया गया तथा कथन किया कि

वादी की अपील खारिज की गयी है, भूमि वर्तमान में राजकीय दर्ज है। प्रकरण में पुनः दिनांक 16–09–2016 की आदेशिका अनुसार वादी द्वारा जवाबदावा पेश कर किया गया, जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज किया गया।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्लीडिंग्स के आधार पर निम्नानुसार 8 तनकियात कायम की गयी :–

1. आया क्या दावे की कलम संख्या 1 में वर्णित भूमि रकबा 677 बीघा 10 बिस्वा धोलीखान का पट्टा मेवाड रियासत के समय से था ? और महाराणा भीमसिंह ने विक्रम संवत 1882 में इसे पुनः दोहराया अर्थात बहाल किया। इस बाबत् निर्णय 10–03–1975 के फैसले में हो चुका है इसलिए दोबारा निर्णय करने की आवश्यकता नहीं है ? ..... वादी

2. आया दिनांक 10–03–1975 के निर्णय में तनकी नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11 व 12 वादी मोहम्मद हबीब के हक में अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश उदयपुर ने तय की और एडीजे न्यायालय उदयपुर ने अपनी अपील के निर्णय में उन तनकियात के निर्णय को सही माना इसलिए इस बाबत् दोबारा निर्णय की आवश्यकता नहीं है ? ..... वादी

3. आया राजस्थान उच्च न्यायालय में एसबी सिविल सेकेण्ड अपील करते समय हसनबक्ष वगैरा ने बशीरूद्दीन के खिलाफ एक दावा अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश व.ख. राजसमन्द के यहां पेश कर दिनांक 01–02–2008 को डिक्री अपने हक में पारित करवा दी और इसके विरूद्ध बशीरूद्दीन ने अपील कर लोक अदालत की भावना से राजीनामा हुआ और जिला न्यायाधीश एवं सत्र न्यायालय राजसमन्द ने अपने डिक्री में मोहम्मद हबीब के हक में हुए निर्णय की पुष्टि दोबारा कर दी। इसका दावे पर क्या असर है ? ..... वादी

4. आया कब्जा वादी का राजस्व आराजी पर है। वादी को मोहम्मद हबीब द्वारा हक अधिकार देने से वादी को वाद लाने का अधिकार है ?..... वादी

5. आया वादी वादग्रस्त भूमि के संबंध में खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराने का अधिकारी है ? ..... वादी

6. आया वादी को दावे की कलम संख्या 2 व 2ए में वर्णित आराजियात पर कब्जा हबीब मोहम्मद एवं वारिसान का मान लिया इसलिए वादी प्रतिवादी

के विरूद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा धोली खान की समस्त आराजियात पर पाने का अधिकारी है और दौराने कार्यवाही उपरोक्त आराजियात के किसी भाग पर वादी को बेदखल कर दिया हो तो पुनः कब्जा वादी को दिलाया जावे ? ..... वादी

7. आया वादी के पिता का वाद पूर्व में खारिज हो चुका है। भूमि बिलानाम राजकीय रेकार्ड होकर (सरकारी) दर्ज है। वाद खारिज योग्य है ? ..... प्रतिवादी

8. अनुतोष ?

प्रकरण में वादी बशीरूद्दीन के बयान करवाये गये तथा कुल 44 दस्तावेज प्रस्तुत किये गये। वादी द्वारा पी.डब्ल्यू. 2 हसनुद्दीन के बयान कराये गये। प्रतिवादी द्वारा गजानन्द जांगीड़ डी.डब्ल्यू. 1 तहसीलदार राजसमन्द के बयान करवाये गये। प्रकरण में सरकार की ओर से लिखित बहस भी प्रस्तुत की गयी।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों को सुनने के बाद अपने निर्णय दिनांक 24–10–2016 से वादी का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 19–12–2016 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्टगण की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराया तथा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटिपूर्ण बताते हुए अपास्त करने की प्रार्थना की। वहीं राजकीय अभिभाषक ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

अपीलान्ट ने प्रमुख रूप से यह उजर लिया कि विवादित भूमियां वादी के पिता को तत्कालीन महाराणा मेवाड ने माफी में दी थी और उक्त माफी को पुनः संवत् 1882 में दोहराया। उक्त आराजयात बाबत् वादी के पिता ने राजस्थान राज्य के विरूद्ध एक वाद इस्तकरार हक एवं निषेधाज्ञा का सिविल

जज उदयपुर में पेश किया, जिसका मुकादमा नंबर 51/68 होकर अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश उदयपुर ने दिनांक 10–03–1975 को निर्णय किया, जिसमें उक्त दावे की तनकी नंबर 3 का निस्तारण करते समय वादग्रस्त भूमि पर वादी के पिता हबीब मोहम्मद का कब्जा माना। वादी के पिता तत्कालीन मेवाड रियासत ने विक्रय संवत् 1882 में पट्टे के आधार पर उक्त भूमि का बापीदार बनाया। चूंकि वादी के पिता बापीदार थे इसलिए उनके सारे हक व अधिकार वादी बशीरूददीन में निहित हो चुके थे। माईन्स मिनरल्स एक्ट प्रभावी होने से वादी के पूर्वाधिकारी ने उक्त भूमि पर किये जाने वाले खनन कार्य पर रॉयल्टी कर के रूप में मांग की गयी और वादी के पिता ने राजस्थान माईनर कनेक्शन रूल 1959 के क्लाज 2 रूल 58 की वैधानिकता को न्यायालय सिविल जज में चुनौती दी और यह उल्लेख किया कि राज्य सरकार को वादग्रस्त भूमि से उत्पादित खनिज की रॉयल्टी प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। न्यायालय ने उक्त निर्णय करते समय अपना क्षेत्राधिकार नहीं मानते हुए रॉयल्टी बाबत् वाद खारिज किया, लेकिन वादी व उसके पिता का बापीदार स्वामित्व पट्टे से व कब्जा होना राज्य सरकार ने स्वीकार किया और सिविल न्यायालय ने इसे प्रमाणित माना और उसी बात को अपर जिला न्यायाधीश उदयपुर ने भी सही माना। सिविल न्यायालय ने जब तनकी नंबर 1 से 5 व 9 से 12 वादी के पक्ष में निर्णित की है और ए.डी.जे. उदयपुर ने दिनांक 10–08–1979 को स्पष्ट निर्णय में उल्लेख किया कि उपरोक्त तनकियात को ध्यान पूर्वक पढने से एवं अधिनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय पारित किया है उसमें उपरोक्त तनकियात का निर्णय वादी के पक्ष में करने में कोई गलती नहीं की है। यानि उक्त तनकियात बाबत् दीवानी न्यायालय ने अपील स्टेज पर भी यथावत वादी के हक में निर्णय किया है। अपील न्यायालय ने केवल वादी को रॉयल्टी से माफी बाबत् जो उनकी अपील थी वो उनके खिलाफ निर्णिय किया और अपील उस बाबत् खारिज की यानि विवाद केवल रॉयल्टी बाबत् ही अपील न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश के सामने था। अपीलान्ट के पिता ने उक्त निर्णय के विरूद्ध सिविल सेकेन्ड अपील राजस्थान उच्च न्यायालय में की कि वह माफीदार है इसलिए रॉयल्टी अदा नहीं करेगा और राजस्थान उच्च न्यायालय ने सेकेन्ड अपील में दिनांक 11–03–1998 को अपीलान्ट/वादी को रॉयल्टी अदा करने का निर्णय देते हुए अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को यथावत रखा, शेष

निर्णय तनकी नंबर 1 से 5 व 9 से 12 बाबत् राजस्थान सरकार द्वारा एस.बी. सिविल द्वितीय अपील में नहीं उठाने से उपरोक्त तनकियात का फैसला यथावत रखा। अधिनस्थ न्यायालय ने कानून की मंशा को समझा ही नहीं। कानून की स्थिति यह है कि किसी जायदाद का मालिकाना हक तय करने का अधिकार दीवानी न्यायालय को ही है और रेवेन्यू न्यायालय किसी भी जायदाद का मालिकाना हक तय नहीं कर सकता और मौजूदा प्रकरण में जब अधिनस्थ न्यायालय ने तनकी नंबर 1 का निर्णय वादी के पक्ष में कर दिया तो उक्त तनकी के निर्णय को देखने से स्पष्ट होता है कि वादी के पट्टे को अतिरिक्त व्यवहारी न्यायाधीश उदयपुर ने स्वीकार किया है, लेकिन रॉयल्टी के बिन्दु पर ही अपील की गयी है और चूंकि राजस्थान सरकार भी इसमें पार्टी थी तो उन्होंने जो तनकियात उनके विरूद्ध की गयी, उस बाबत् कोई अपील नहीं की। अधिनस्थ न्यायालय ने तनकी नंबर 2 डिलिट कर दी, जिसकी कोई कानूनी वजह नहीं बतायी। कानून की स्थिति भी स्पष्ट है इसी वजह से अधिनस्थ न्यायालय में वादी/अपीलान्ट ने उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त जो कि 2016 का था, को पेश किया उसमें उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वादी के कब्जे को सरकार ने अस्वीकार नहीं किया है और मालिकाना हक और कब्जा साबित है और मालिकाना हक और कब्जा साबित है तो वादी जो डिक्री चाहता है उसको पाने का अधिकारी है, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस नजीर को नहीं देखा। इसी तरह अन्य न्यायिक नजीरें लिखित बहस के साथ पेश किया जिन पर अधिनस्थ न्यायालय ने कोई गौर नहीं किया है। अधिनस्थ न्यायालय में स्वयं राज्य सरकार द्वारा वादी/अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत राजस्व वाद के जवाबदावे में केवल अस्वीकृत लिखा गया है, जिसे किसी भी रूप में स्पेशिफिक डिनायल (निषेध) भी नहीं कहा जा सकता। वादी द्वारा करीब 44 दस्तावेज प्रदर्श करवाये गये थे, जिन पर अधिनस्थ न्यायायल द्वारा कोई विचार नहीं किया गया। पट्टा तत्कालीन मेवाड़ माल कानून के तहत विधिक रूप से दिया था। अतएवं अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाकर वादी/अपीलान्ट को वादग्रस्त भूमियों का खातेदार घोषित किया जावे।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व रेकार्ड का अवलोकन किया गया तथा अपीलान्ट द्वारा लिये गये उजरात एवं बहस पर मनन किया गया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट/वादी द्वारा यह वाद

संवत् 1882 के पट्टे के आधार पर पेश किया था। उक्त पट्टे की वैधता व कब्जे बाबत् सिविल न्यायालय द्वारा पूर्व वादकरण में दी गयी फाईडिंग के आधार पर राजस्व न्यायालय में खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया है। उक्त भूमि वर्तमान में बिलानाम राजकीय भूमि दर्ज है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में प्लीडिंग्स के आधार पर 8 तनकियात कायम की एवं उक्त तनकियात पर उपलब्ध साक्ष्यों व विभिन्न न्यायिक दृष्टान्तों पर विवेचन करते हुए विस्तृत निर्णय पारित किया है।

अधिनस्थ न्यायालय में तनकी नंबर 1 इस आशय की बनायी गयी है कि ''आया क्या दावे की कलम संख्या 1 में वर्णित भूमि रकबा 677 बीघा 10 बिस्वा धोलीखान का पट्टा मेवाड रियासत के समय से था और महाराणा भीमसिंह ने विक्रम संवत 1882 में इसे पुनः दोहराया अर्थात बहाल किया। इस बाबत् निर्णय 10–03–1975 के फैसले में हो चुका है इसलिए दोबारा निर्णय करने की आवश्यकता नहीं है ?'' उक्त तनकी को अधिनस्थ न्यायालय ने वादी/अपीलान्ट के पक्ष में माना है। अर्थात अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पट्टे को मान लिया गया है।

अधिनस्थ न्यायालय ने तनकी नंबर 2 जो कि इस आशय की है कि ''आया दिनांक 10–03–1975 के निर्णय में तनकी नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11 व 12 वादी मोहम्मद हबीब के हक में अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश उदयपुर ने तय की और एडीजे न्यायालय उदयपुर ने अपनी अपील के निर्णय में उन तनकियात के निर्णय को सही माना इसलिए इस बाबत् दोबारा निर्णय की आवश्यकता नहीं है ?'' यह तनकी अत्यन्त महत्वपूर्ण तनकी है। इस तनकी के संबंध में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निम्नानुसार अंकित किया गया है ''उक्त तनकी को साबित कराये जाने का भार वादी पर है लेकिन उक्त तनकी उक्त प्रकरण में अनावश्यक होने से इसे हटायी जाती है। इस पर विनिश्चय किये जाने की आवश्यकता नहीं है।'' अधिनस्थ न्यायालय स्वयं के द्वारा इस तनकी को बनाया जाकर अनावश्यक बताते हुए हटाने का निर्णय पारित किया गया है, परन्तु इसके लिए कोई आधार नहीं दिया है, जबकि आदेश 20 नियम 5 जा.दी. के आज्ञापक प्रावधानों के तहत न्यायालय को प्रत्येक तनकी पर अपना निर्णय किया जाना वांछनीय होता है। इस प्रकरण में तो यह तनकी अत्यन्त महत्वपूर्ण तनकी है, क्योंकि इस तनकी के आधार पर ही वादी के वाद का विनिश्चयन किया जाना है कि ''आया पूर्व

वाद की तनकियों का निर्णय राजस्व न्यायालयों पर बाध्यकारी है अथवा नहीं तथा उक्त तनकियों के निर्धारण का इस वाद के निस्तारण में अत्यन्त महत्वपूर्ण योगदान है।'' अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तनकी पर बिना कोई आधार दिये उक्त तनकी को निरस्त कर दिया है, जो निसंदेह आदेश 20 नियम 5 जा.दी. के आज्ञापक प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है तथा इस आधार पर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अधिनस्थ न्यायालय ने तनकी नंबर 3 वादी/अपीलान्ट के पक्ष में मानी है, परन्तु यह विवेचन नहीं किया है कि इस तनकी के निर्णय का दावे पर क्या प्रभाव है। तनकी नंबर 4 का निर्णय भी अधिनस्थ न्यायालय ने वादी/ अपीलान्ट के पक्ष में किया है।

प्रकरण में जहां तक तनकी नंबर 5, 6, 7 का प्रश्न है, उक्त तीनों तनकियों का अधिनस्थ न्यायालय द्वारा एक साथ निर्णय किया गया है, जो भी आदेश 20 नियम 5 जा.दी. के प्रावधानों का उल्लंघन है, क्योंकि जब अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में तीनों तनकियात पृथक–पृथक बनायी है तो उक्त तीनों तनकियों का निर्णय भी पृथक–पृथक करना चाहिए था। अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त तीनों तनकियों का एक साथ निर्णय करते हुए यह अंकित किया है कि ये तीनों तनकियों एक दूसरे की पूरक हैं, जबकि तनकी नंबर 5 व 6 वादी के भार सिद्ध थी एवं तनकी नंबर 7 प्रतिवादी सरकार के भार सिद्ध थी। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में इन तीनों तनकियों का निर्णय निम्नानुसार किया है ''पत्रावली के अवलोकन से एवं उपलब्ध दस्तावेजों से यह प्रमाणित है कि वादग्रस्त भू3मि के संबंध में वादी के पिता के पूर्व में अतिरिक्त व्यवहार न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया था जो वाद माननीय उच्च न्यायालय तक सुनवाई होकर निर्णित किया गया और उस वाद में उच्च न्यायालय ने व्यवहार न्यायालय द्वारा वादी के पिता के वाद को खारिज करने में सही मानते हुए द्वितीय अपील खारिज कर दी गयी। जब माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा वादी के पिता के द्वारा प्रस्तुत वाद को अस्वीकार कर खारिज करने के निर्णय की पुष्टि की है तो उसी भूमि के संबंध में राजस्व न्यायालय द्वारा सिविल न्यायालय के निर्णय के विपरीत विनिश्चय नहीं किया जा सकता जब माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ही इस मामले में विस्तृत विनिश्चम गुणावगुण पर किया जा चुका है तो इस

न्यायालय द्वारा उस पर किसी प्रकार की कोई टीका–टिप्पणी किया जाना उचित नहीं समझते हैं। ऐसे में रेकार्ड से भी यह प्रमाणित है कि वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी राज्य सरकार द्वारा खनन पट्टे स्वीकृत कर रखे हैं ऐसी स्थिति में खातेदारी अधिकार दिया जाना इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार का मामला नहीं है। वादी के द्वारा पेश किये गये उक्त तनकियात के संबंध में न्यायिक निर्णयों का अवलोकन किया गया लेकिन उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रकरण का निस्तारण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व में किया जा चुका है। जहां से भी खातेदारी अधिकार दिये जाने बाबत् किसी भी प्रकार के कोई दिशा–निर्देश वादी ने प्राप्त नहीं किये गये हैं ना ही इस न्यायालय द्वार दिये गये हैं।''

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त विवेचन कर जो निर्णय पारित किया है वह सिविल न्यायालय में मूल वाद जो कि रॉयल्टी माफ करने से संबंधित कानूनी प्रावधानों को अपास्त किये जाने से संबंधित था, उसके खारिज कर दिये जाने के कारण वादी द्वारा अपने खातेदारी घोषणा के लिए जो वाद प्रस्तुत किया गया है, उसमें वाद खारिज जो जाने एवं उसकी अपील भी खारिज हो जाने के आधार पर दावा खारिज किया गया है, जबकि इस न्यायालय में मूल वाद खातेदारी अधिकारों की घोषणा के सन्दर्भ में थे। अतएवं उक्त भूमि की नोहियत क्या है तथा मौके पर कब्जे की स्थिति क्या है, इस बाबत् विवेचन किये बिना सिर्फ किसी अन्य बिन्दु वादी का वाद एवं अपील सिविल न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिये जाने को आधार बनाकर वादी का वाद खारिज कर दिया है, जबकि पूर्व वाद रॉयल्टी वसूली से संबंधित था एवं यह वाद खातेदारी घोषणा से संबंधित है तो अधिनस्थ न्यायालय के लिए यह लाजमी था कि राजस्व न्यायालय में उक्त वाद की पोषणीयता किस प्रकार है, इस बाबत् विवेचन कर निर्णय पारित करते, जो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं किया गया है।

उपरोक्त समग्र विवेचन से स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश 20 नियम 5 जा.दी. के आज्ञापक प्रावधानों के उल्लंघन में तनकी नंबर 2 पर निर्णय ही पारित नहीं किया गया है तथा तनकी नंबर 5, 6 व 7 का एक साथ निर्णय कर दिया है तथा उसमें में पेश शुदा साक्ष्य सबूतों तथा पूर्व वादकरण विषय वस्तु व इस वाद पर उसका क्या प्रभाव है तथा इस भूमि की वर्तमान में नोहियत क्या है, इन तथ्यों का विवेचन किये बिना निर्णय

पारित किया है, जो स्पष्ट रूप से विधिक एवं तथ्यात्मक रूप से त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतएवं अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 24–10–2016 अपास्त की जाती है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि हमारे द्वारा किये गये उपरोक्त प्रेक्षणों को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण में तनकी संख्या 2, 5, 6 व 7 पर आवश्कतानुसार जांच करवायी जाकर तथा उभयपक्षों को पुनः सुनकर पुनः निर्णय पारित करें।

पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 14–05–2018 को उपस्थित रहें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 12–03–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास ..... **एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.** .....

दलपतसिंह पिता जोरावरसिंह चौहान, निवासी कलाखेड़ी (बडला वाली), तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द बनाम **डालचन्द (मृतक) के बजाय रमेश पिता डालचन्द ब्राहमण, नि. मजा तह. व जिला राजसमन्द व अन्य**

अपील नं.....**12 / 2016**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**राजसमन्द**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**29**.....माह.....**03**.....**2016**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**09**.....माह.....**08**.....सन् **2017** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी...**श्री राहुल सनाढ्य**....मिनजानिब अपीलान्ट व .....**श्री विश्वजीतसिंह कर्णावत**
श्री एस. एल. लढ्ढा

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 29–03–2016 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**09**.....माह.....**08**.....**2017** को जारी किया गया ।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।